## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 133/2018
3. उनवान : 1. भंवरलाल
   2. गोपाल
   3. हनुमान
   4. हरदेव
   5. रामदेव
   पुत्रान स्व. सुवाराम निवासी ईटावा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
   6. मीरा देवी पुत्री स्व. सुवाराम पत्नी जोधाराम
   7. हीरा देवी पुत्र स्व. सुवाराम पत्नी चन्दाराम
   निवासी सूरासिंहपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

   बनाम

   1. रामकरण पुत्र स्व. नाथूराम
   2. पेमाराम पुत्र स्व. नाथूराम
   3. भंवरी देवी पत्नी पेमाराम
   4. रामूराम पुत्र स्व. नाथूराम
   5. तहसीलदार (भू.अ.) फुलेरा मु. सांमरलेक जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 06.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : (अ) श्री हनुमान प्रसाद चौधरी अपीलार्थीगण की ओर से।
   (ब) श्री कृष्ण कुमार पारीक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 की ओर से तथा श्री अर्जुन लाल चौधरी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

### निर्णय

### अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 831 दिनांक 17.11.2017

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पैतृक भूमि
खसरा नंबर 199/1, 202/1, 203, 204, 205, 206, 207, 215, 216/1, 198/2,
199/2, 200, 201, 202/2, 216/1/2, 217/2, 198/1, 217/1/1, 217/1/2
किता 20 कुल रकबा 81 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम ईटावा तहसील फुलेरा हेतु रेस्पोडेन्ट
संख्या 1 रामकरण ने दावा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के यहां प्रस्तुत किया। जिसमें
अंकन किया गया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त चला आ
रहा है। खसरा नंबर 197/321/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नंबर
197/321/2 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ईटावा
उभयपक्ष की माता नाथी देवी पत्नी नाथूराम की खातेदारी की है तथा खसरा नंबर 118
रकबा 7 बिस्वा वादी (रेस्पोडेन्ट) के पिता को अदला बदली में प्राप्त हुई है। इस प्रकार
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषणा, तकासमा व स्थायी
निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जबकि अपीलान्ट ने उक्त पत्रावली में अपना जवाब दावा
पेश किया तथा निवेदन किया कि खसरा नंबर 198/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा
नंबर 217 रकबा 1 बिस्वा गै.मु.चा., खसरा नंबर 217/1 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर
219/1 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा किता 4, रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा अपीलार्थीगण के
पिता स्वर्गीय श्री सुवाराम की कयशुदा आराजीयात है तथा खसरा नंबर 199/1,
202/1, 203, 204, 205, 206, 207, 215, 216/1 किता 9 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा
रेस्पोडेन्ट पेमा की कयशुदा आराजीयात है तथा खसरा नंबर 197/2 रकबा 1 बिस्वा,
197/321 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भंवरी देवी पत्नी पेमा की कयशुदा



अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

ज़मीन है। उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण का आज तक कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। परन्तु उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने दिनांक 16.10.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से का दावा डिक्री कर दिया। जिसकी अपीलान्ट को जानकारी होने पर दिनांक 12.11.2017 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील प्रस्तुत कर दी। जिस पर दिनांक 27.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2017 की क्रियान्विति स्थगित रखने के आदेश जारी हुए। उक्त प्रकरण में दिनांक 13.11.2017 को तहसीलदार फुलेरा की तामील होने के बावजूद अपीलधीन निर्णय व डिक्री की पालना में नामा. संख्या 831 दिनांक 17.11.2017 बैकडेट में पारित किया। दिनांक 13.11.2017 को तहसीलदार फुलेरा को नोटिस की तामील हो चुकी थी एवं अपीलान्ट भंवरलाल ने स्वयं उन्हें जानकारी दी थी। उक्त विवादित आराजीयात पक्षकारान के वाद से पूर्व ही अलग खातेदारी की भूमि अलग–अलग बैंको के रहन हेतु विशिष्ट गिरवी रखी थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं राज. टी. एक्ट एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2017 की इजराय कराये बिना सीधे ही एक ही दिन में पटवारी गिरदावर एवं तहसीलदार फुलेरा ने बसाज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सारी कार्यवाही ऑर्डर 21 रूल 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत, विधि विरूद्ध, ऑर्बीट्रेरी, काउन्टरी टू लॉ के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामा. संख्या 831 दिनांक 17.11.2017 ग्राम ईटावा पटवार हल्का तेजा का बास तहसील फुलेरा निरस्त किया जावे एवं उक्त विवादित आराजीयात के अपीलों के निर्णय तक नामान्तरकरण की प्रकिया को स्थगित फरमाया जाये।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारिक एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन लाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में अपीलधीन भूमि हेतु दावा प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 16.10.2017 को निर्णय पारित किया गया, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर में दायर की गई। उक्त अपील में दिनांक 11.03.2020 को निर्णय पारित किया गया। निर्णय अनुसार उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के अपीलधीन आदेश दिनांक 16.10.2017 को खारिज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में दायर किया। जबकि उक्त दावे में वर्णित भूमि सम्पूर्ण पैतृक ना होकर स्वअर्जित सम्पति है। दावे में दिनांक 16.10.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से का दावा डिक्री करने के आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा जारी किये गये। जिसकी अपीलान्ट को जानकारी होने पर दिनांक 12.11.2017 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में प्रस्तुत अपील पर दिनांक 27.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2017 की क्रियान्विति स्थगित रखने के आदेश जारी हुए। बावजूद इसके दिनांक 13.11.2017 को तहसीलदार फुलेरा की तामील होने के बावजूद अपीलधीन निर्णय व डिक्री की पालना में नामा. संख्या 831 दिनांक 17.11.2017 बैकडेट में पारित किया, जबकि दिनांक 13.11.2017 को तहसीलदार फुलेरा को नोटिस की तामील हो चुकी थी एवं अपीलान्ट भंवरलाल ने स्वयं उन्हें जानकारी दी थी। विवादित आराजीयात पक्षकारान के वाद से पूर्व ही अलग खातेदारी की भूमि अलग–अलग बैको के रहन हेतु विशिष्ट गिरवी रखी थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा. संख्या 831 दिनांक 17.11.2017 को निरस्त किया जावे एवं उक्त विवादित आराजीयात के अपीलों के निर्णय तक नामान्तरकरण की प्रक्रिया को स्थगित फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकरण ने दावा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के यहां प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने दिनांक 16.10.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से का दावा डिक्री कर दिया। जिसकी पालना में नियमानुसार एवं विधि सम्मत तरीके से अपीलाधीन नामा. संख्या 831 दिनांक 17.11.2017 खोला गया, जिसमें कोई वैधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।



अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हम अपीलार्थी की अपील, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के निर्णय दिनांक 16.10.2017 की अनुपालना में खोला गया है, जिसमें कोई वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं। जहां तक न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन आदेश की बात है, वह दिनांक 27.11.2017 को जारी किया गया है, जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 831 दिनांक 17.11.2017 को तस्दीक किया गया है, जो स्थगन आदेश से पूर्व का है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य ज्ञात नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 8.9.22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली पर्वानुसार दिनांक 22-9-22 पेश हो। |
| | 22.9.22 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि० उप० पत्रावली मूल अपील के साथ आगामी ता. पेशी दि० 27-9-22 को पेश हो। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर |
| | 27.9.22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली पर्वानुसार दिनांक 6-10-22 पेश हो। |
| | 6.10.22 | पत्रा० पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उप० हो मूल अपील में आज निर्णय सुनाया जाकर के बाद प्रार्थना पत्र स्थगन को चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है अतः पत्रावली बाद तामील तरतीब दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर |